

## न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल, म०प्र०

कमांक-127/2024

भोपाल, दिनांक - 15/04/2024

### (आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2024)

मैं अरुण सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल धारा 15(2)दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र मण्डल भोपाल में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आपराधिक कार्य संबंधी पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक 2015 संशोधन कं 05 आदेश दिनांक 26.02.15 को छोड़कर पूर्ववर्ती समस्त आदेश को निरस्त करते हुए निम्नलिखित अनुसार कार्य विभाजन करता हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भोपाल द्वारा अनुमोदन पश्चात अविलंब प्रभावशील होगा :-

01	श्री अरुण सिंह प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	<p>अ. राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो संपूर्ण भोपाल, विदिशा, राजगढ (ब्यावरा) सीहोर और रायसेन जिला</p> <hr/> <p>ब. संपूर्ण जिला भोपाल</p>	<p>1. म०प्र० शासन, विधि विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना कं 1-8-79-इक्कीस-ब(एक) भोपाल दिनांक 28 जून 2007 में दर्शित कालम कं 2 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्यालयों पर उक्त सारणी के कालम कं 3 के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण।</p> <p>3. श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण।</p> <p>4. श्रम न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में अभियोजन के प्रकरण।</p> <p>5. खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद पत्र</p> <p>6. म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल म प्र द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र।</p> <p>7. भोपाल जिला क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां</p> <p>8. ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंधित) अधिनियम 1978 एवं ऐसे अन्य अधिनियम जिसमें विचारण का क्षेत्राधिकार केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हो।</p>
----	---	---	--

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

	<p>स. संपूर्ण तहसील हूजूर जिला भोपाल</p> <p><b>आरक्षी केन्द्र</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. एम.पी.नगर</li> <li>2. टी.टी.नगर</li> <li>3. हबीबगंज</li> <li>4. यातायात</li> <li>5. आबकारी</li> <li>6. अवधपुरी</li> <li>7. एस.टी.एफ.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. इवायरमेंटल लॉ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद प्रकरण/आपराधिक प्रकरण</li> <li>10. फारेस्ट लॉ (भारतीय वन अधिनियम/वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम) से उदभूत परिवाद/आपराधिक प्रकरण</li> <li>11. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 1958</li> <li>12. वन विभाग से प्रस्तुत होने वाले परिवाद.</li> <li>13. सरफेसी एक्ट से संबंधित परिवाद एवं अन्य समस्त कार्यवाहियां</li> </ol> <p>माननीय उच्च न्यायालय म प्र जबलपुर के ज्ञापन कं सी/1743, जबलपुर दिनांक 04.05.16 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के विविध कार्यालयीन आदेश कं क्यू/सांख्यिकीय लेखक/16, आदेश दिनांक 10.05.16 द्वारा वन विधि एवं खनन विधि से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>निम्नलिखित अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त थाना क्षेत्रों के आपराधिक प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. समस्त आपराधिक प्रकरण</li> <li>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा, खारिजी प्रकरण</li> </ol> <p>जिला भोपाल एवं बैरसिया तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों में प्रस्तुत होने वाले खारिजी प्रकरण।</p>
02	<p>श्री अगनेन्द्र कुमार द्विवेदी चौबीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p> <p><b>आरक्षी केन्द्र</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्यामला हिल्स</li> <li>2. चूना भट्टी</li> <li>3. छोला मंदिर</li> </ol> <p>सम्पूर्ण तहसील हूजूर</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र।</li> <li>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण</li> <li>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</li> </ol>

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

			<p>4. पासपोर्ट अधिनियम</p> <p>6. आरक्षी केन्द्र टी.टी.नगर क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र।</p>
03	<p>श्रीमती चेतना दीक्षित सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p><b>आरक्षी केंद्र</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हबीबगंज</li> <li>2. बागसेवनिया,</li> <li>3. कटारा हिल्स</li> <li>4. कोलार रोड,</li> <li>5. गौतम नगर</li> <li>6. गोविंदपुरा</li> <li>7. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया</li> <li>8. अरेरा हिल्स</li> <li>9. गांधीनगर</li> <li>10. कोहेफिजा</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</li> <li>2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।</li> </ol>
04	<p>श्री तथागत यागनिक तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p><b>आरक्षी केन्द्र</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मिसरोद,</li> <li>2. मंगलवारा .</li> <li>3. सूखी सेवनिया,</li> <li>4. अयोध्यानगर</li> <li>5. अवधपुरी,</li> <li>6. अशोकागार्डन,</li> <li>7. टी.टी. नगर</li> <li>8. स्टेशन बजरिया</li> <li>9. कमला नगर</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</li> <li>2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।</li> <li>3. एम.पी.एम.एल.ए. से संबंधित प्रकरण</li> </ol>

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

05	कु. लक्ष्मी वस्कुले बाइसर्वे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. अरेरा हिल्स 2. निशातपुरा	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. आरक्षी केन्द्र अवधपुरी क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र ।
06	श्रीमती शोभना गौतम षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. महिला थाना  <u>आरक्षी केंद्र</u> 1. महिला थाना 2. निशातपुरा 3. शाहजहांनाबाद, 4. कोलार रोड 5. गांधीनगर 6. कोहेफिजा 7. रातीबढ 8. कोतवाली, 9. ऐशबाग, 10. सूखीसेवनिया, 11. काइम ब्रांच, 12. अवधपुरी 13 टीला जमालपुरा 14. जी.आर.पी. 15. आर.पी.एफ. 16. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण ।  1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन । 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं । 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो ।

15/04/24  
(अरूब सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

		इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया	5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
07	श्री लोकेश तारण अठहारवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. अशोका गार्डन 2. शाहपुरा संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद:- 1. चूनाभट्टी 2. खजूरीसड़क 3. शाहजहांनाबाद 4. टीलाजमालपुरा, 5. पिपलानी 6. कोतवाली 7. गांधीनगर 8. कोहेफिजा 9. छोला मंदिर 10. बिलखिरिया, 11. श्यामला हिल्स 12. हबीबगंज 13. बागसेवनिया, 14. कटारा हिल्स 15. कोलार रोड, 16. तलैया 17. बैरागढ़ 18. परवलिया सड़क 19. ऐशबाग
08	श्रीमती अश्विनी सिंह बारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. अयोध्या नगर, 2. मिसरोद 3. शाहपुरा, 4. गौतम नगर	1. आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी,

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

		<p>5. एम.पी. नगर 6. हबीबगंज 7. अजाक (यदि कोई प्रकरण हो) 8 मंगलवारा 9 परवलिया सड़क 10 अरेरा हिल्स 11 स्टेशन बजरिया, 12 गोविंदपुरा 13. बागसेवनिया 14. साईबर काइम (यदि कोई प्रकरण हो)</p>	<p>493,498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5 सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।</p>
09	<p>श्रीमती गुंजन शर्मा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल</p>	<p><u>आरक्षी केंद्र</u> 1. चूनाभट्टी 2. खजूरीसड़क 3. शाहजहांनाबाद 4. टीलाजमालपुरा, 5. तलैया 6 बैरागढ़ 7 परवलिया सड़क 8 ऐशबाग 9. एम.पी. नगर 10. हनुमानगंज</p>	<p>1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।</p>
10	<p>श्री तरुनेन्द्र प्रताप सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (नगर निगम न्यायालय)</p>	<p><u>आरक्षी केंद्र</u> 1. बैरागढ़ 2. कोलार रोड 3. कोहेफिजा</p>	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये</p>

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

		4. रातीबढ़ ..... संपूर्ण तहसील हुजूर	आपराधिक प्रकरण । ..... 1 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम संबंधित आपराधिक प्रकरण । 2 नगर निगम अधिनियम से संबंधित प्रकरण । 3 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मामले जो न्यायिक मजि0प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है । 4. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधि0 5. बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम एवं बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम 7. आयकर विभाग, जीएसटी. एवं मूल्य वर्धित कर विभाग (VAT) द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण ।
11	सुश्री संजना सरल, चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल		01. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
12	श्रीमती अनुदिता गुप्ता नवम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. कमला नगर 2. साईबर काइम (यदि कोई प्रकरण हो) संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. आरक्षी केन्द्र हबीबगंज क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र । 5. सायबर काईम एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित परिवाद, धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के आवेदन के प्रकरण ।

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (स.प्र.)

			6. जिला मुख्यालय भोपाल के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रकरण।
13	श्री शरद जैसवाल दसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. बागसेवनिया 2. काईम ब्रांच (यदि कोई प्रकरण हो) संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र एम.पी. नगर से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र 5. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2) के तहत कार्यवाही करने हेतु माह मई 2024 हेतु।
14	सुश्री आरती आर्य ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. टी.टी.नगर, 2. सीआईडी 3. कटारा हिल्स 4. कमलानगर 5. हनुमानगंज, 6. चूनाभट्टी 7. तलैया 8. पिपलानी 9. जहांगीराबाद 10. छोला मंदिर 11. अशोका गार्डन 12. खजूरी सडक	1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)



		13. बैरागढ़ 14. बिलखिरिया 15. श्यामला हिल्स	1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
15	श्री कर्नाल सिंह श्याम सातवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. अयोध्या नगर 2. गोविंदपुरा संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
16	श्री अनुराग खरे, आठवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. जी.आर.पी. 2. आर.पी.एफ.	1. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना दिनांक 08.04.2015 अनुसार भारतीय रेलवे अधिनियम से संबंधित स्थानीय क्षेत्र भोपाल, सीहोर, उज्जैन, गुना, अशोकनगर, इन्दौर, शाजापुर, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, सागर, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, मुरैना, नरसिंहपुर, रीवा, नीमच, भिण्ड, कटनी, छतरपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाडा, श्योपुर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रकरण। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
17	सुश्री पलक राय तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. हनुमानगंज 2. एन.डी.पी.एस. संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।

15/04/24  
 (अरुण सिंह)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 भोपाल (म.प्र.)

			4. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2) के तहत कार्यवाही करने हेतु माह जून 2024 हेतु।
18	सुश्री कल्पना कोतवाल दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. टीलाजमालपुरा सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले आरक्षी केन्द्रो 1 जहांगीराबाद, 2. अवधपुरी, 3. निशातपुरा 4 अशोकागार्डन, 5 शाहपुरा, 6 टी.टी. नगर 7 रातीबद, 8 स्टेशन बजरिया, 9 मिसरोद, 10. कमला नगर 11. मंगलवारा 12. हनुमानगंज 13. सूखी सेवनिया, 14. गौतम नगर 15. अयोध्यानगर 16. गोविंदपुरा 17. अरेरा हिल्स 18. एम.पी. नगर 19. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया के परिवाद 5. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2) के तहत कार्यवाही करने हेतु माह जुलाई 2024 हेतु।
19	श्री आशीष मिश्रा बारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. खजूरी सड़क संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण ।

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

			<p>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>4. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2) के तहत कार्यवाही करने हेतु अगस्त 2024 हेतु ।</p>
20	श्री कृष्णकांत बागरे तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<p><u>आरक्षी केन्द्र</u></p> <p>1. गौतम नगर</p> <p>2. ईंटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया</p>	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण ।</p> <p>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>4. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2) के तहत कार्यवाही करने हेतु सितम्बर 2024 हेतु ।</p>
21	श्रीमती अंजली सिंह पंद्रहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल		<p>1. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</p>
22	श्री कपिल बौरासी सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<p><u>आरक्षी केन्द्र</u></p> <p>1. कोतवाली सम्पूर्ण तहसील हुजूर</p>	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र ।</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण</p> <p>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>4. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2) के तहत कार्यवाही करने हेतु माह अक्टूबर 2024 हेतु ।</p>
23	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया सप्तम व्यवहार न्यायाधीश	<p><u>आरक्षी केन्द्र</u></p> <p>1. शाहजहानाबाद</p> <p>2. पिपलानी</p>	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र ।</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा</p>

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

	कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	सम्पूर्ण तहसील हुजूर	<p>प्रकरण।</p> <p>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</p> <p>4. नापतोल अधिनियम 1985</p> <p>5. औद्योगिक विवाद से संबंधित प्रस्तुत परिवाद प्रकरण।</p> <p>6. म.प्र.सिनेमा (रेगुलेशन) अधि० 1952</p> <p>7. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2) के तहत कार्यवाही करने हेतु माह अप्रैल 2024 हेतु</p>
24	सुश्री भावीनी सिंह सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<p><u>आरक्षी केंद्र</u></p> <p>1. बिलखिरिया सम्पूर्ण तहसील हुजूर</p>	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र।</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण</p> <p>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</p> <p>4. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2) के तहत कार्यवाही करने हेतु नवम्बर 2024 हेतु।</p>
25	श्री मृदुल लटोरिया अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<p><u>आरक्षी केंद्र</u></p> <p>1. गांधीनगर</p> <p>2. मिसरोद</p> <p>3. अजाक(यदि कोई प्रकरण हो)संपूर्ण तहसील हुजूर</p>	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण</p> <p>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।</p>
26	श्री विशाल रिछारिया अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<p><u>आरक्षी केंद्र</u></p> <p>1. सूखी सेवनिया</p> <p>2. सी.आई.डी.</p> <p>संपूर्ण तहसील हुजूर</p>	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण।</p> <p>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये</p>

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

			<p>आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>4. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2) के तहत कार्यवाही करने हेतु दिसम्बर 2024 हेतु ।</p>
27	<p>सुश्री एकता ठाकुर</p> <p>ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (मातृत्व अवकाश पर)</p>		
28	<p>श्री रजनीश ताम्रकार</p> <p>उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p><u>आरक्षी केन्द्र</u></p> <p>1. ऐशबाग</p> <p>संपूर्ण तहसील हुजूर</p>	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण ।</p> <p>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</p>
29	<p>श्री राहुल कुमार नामदेव</p> <p>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p><u>आरक्षी केन्द्र</u></p> <p>1. स्टेशन बजरिया</p> <p>संपूर्ण तहसील हुजूर</p>	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण ।</p> <p>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</p>
30	<p>श्री संदीप कुमार नामदेव</p> <p>बीसवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल</p>	<p><u>आरक्षी केन्द्र</u></p> <p>1. कटारा हिल्स</p> <p>2. मंगलवारा</p> <p>संपूर्ण तहसील हुजूर</p>	<p>1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण ।</p> <p>3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>4. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2) के तहत कार्यवाही करने हेतु माह मार्च 2024 हेतु</p>

15/04/24  
 (अरुण सिंह)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 भोपाल (म.प्र.)

31	श्री जयदीप मौर्य द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 01. जहांगीराबाद	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
32	सुश्री हेमलता अहिरवार तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 01. परवलिया सड़क	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
33	सुश्री लघुता मरकाम इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1 जहांगीराबाद, 2. निशातपुरा 3. शाहपुरा, 4 रातीबढ, 5 छोला मंदिर 6 बिलखिरिया, 7. श्यामला हिल्स 8. पिपलानी 9. कोतवाली	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
34	सुश्री हर्षा परमार, पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. तलैया	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।


15/04/24

(अरूण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

<b>तहसील बैरसिया न्यायालय</b>			
35	<p>श्री रवि नायक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैरसिया</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>आरक्षी केन्द्र</u></b></p> <p>1. गुनगा 2. थाना गुनगा तहसील हुजूर जिला भोपाल के गांव ईटखेडी, बीनापुर, निपानिया जाट, रायपुर, अरवलिया, खजूरी, खामखेडा, अचारपुरा, परवलिया सानी, रासलाखेडी, गोलखेडी, राताताल, करधई, करोद खुर्द, कनेरा, कढैया, अगरिया, घासी पुरा, बरखेडी हज्जाम, भैरोपुरा, मनीखेडी कोट, मोमनपुर, सुमेरखेडी, सूखा निपानिया, हज्जामपुरा, हिनातिया जागीर, चीलखेडा, मस्तीपुरा, खींचीताल से उद्भूत। 3. आबकारी (धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम को छोडकर)</p>	<p>1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण ----- 3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 5. बैरसिया जिला भोपाल के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों में उद्भूत होने वाले आबकारी मामलों एवं आबकारी विभाग के समस्त मामलों से संबंधित प्रकरण।</p>
36	<p>श्रीमति हर्षिनी यादव, व्यवहार न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैरसिया</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>आरक्षी केन्द्र</u></b></p> <p>1. बैरसिया</p>	<p>1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</p>

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

	<p style="text-align: center;"><b><u>आरक्षी केंद्र</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बैरसिया</li> <li>2. गुनगा</li> <li>3. नजीराबाद</li> <li>4. ईटखेडी बैरसिया तह.</li> </ol>	<p>.....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन।</li> <li>6. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं।</li> <li>7. एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अल्प मात्रा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण.</li> <li>8. समस्त तहसील बैरसिया जिला भोपाल के आरक्षी केंद्र से उद्भूत होने वाले धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम 1915 के मामले</li> <li>9. संपूर्ण तहसील बैरसिया के इंवायरमेंटल लॉ (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम) एवं फारेस्ट लॉ (भारतीय वन अधिनियम) से उद्भूत प्रकरण</li> </ol>
37	<p>सुश्री राखी देवलिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैरसिया</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>आरक्षी केन्द्र</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. नजीराबाद</li> </ol> <p>1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र।</p> <p>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण</p> <p>3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954</li> <li>2. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम</li> <li>4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये</li> </ol>


  
 (अरुण सिंह)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 भोपाल (म.प्र.)



		<p style="text-align: center;"><b><u>आरक्षी केंद्र</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बैरसिया</li> <li>2. गुनगा</li> <li>3. नजीराबाद</li> <li>4. ईटखेडी बैरसिया तह.</li> </ol>	<p>आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>.....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. धारा 138 निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेण्ट एक्ट अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।</li> <li>8. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।</li> </ol>
38	श्री राजन गुप्ता द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैरसिया	<p style="text-align: center;"><b><u>आरक्षी केन्द्र</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ईटखेडी बैरसिया तहसील</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. समस्त आपराधिक प्रकरण / परिवाद पत्र ।</li> <li>2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण</li> </ol> <p>.....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954</li> <li>2. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम</li> <li>4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।</li> </ol> </li> </ol>

### // सामान्य नोट //

01. कार्यविभाजन में की गई व्यवस्था के बावजूद जिला भोपाल के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी थाना या वृत्त का कोई प्रकरण सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण किया जा सकता है कार्यविभाजन पत्रक में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।
02. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे।
03. समस्त रिक्त न्यायालय के महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन व रिक्त न्यायालय की समस्त कार्यवाही भोपाल जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही के लिए समस्त मजिस्ट्रेट, दिए गए अपने-अपने आरक्षी केंद्र अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

  
 15/04/24  
 (अरुण सिंह)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 भोपाल (म.प्र.)

04. समस्त रिक्त न्यायालय के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय का निष्पादन, भोपाल जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही के लिए समस्त मजिस्ट्रेट, दिए गए अपने-अपने आरक्षी केंद्र अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

इसके अतिरिक्त परिवाद पत्र से उद्भूत दांडिक मामलों से संबंधित रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपील न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन तथा परिवाद पत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों के संबंध में रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही के लिये समस्त मजिस्ट्रेट, दिये गये अपने-अपने आरक्षी केन्द्रों का कार्य संपादित करेंगे।

05. उक्त कंडिका 03 व 04 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट, रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, आदेश एवं निर्णय का निष्पादन तथा रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही के लिये समस्त मजिस्ट्रेट, दिये गये अपने-अपने आरक्षी केन्द्रों अनुसार कार्य संपादित करेंगे तथा जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये हैं और वे वर्तमान में जिला न्यायालय स्थापना में पदस्थ भी है, तब जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट की अन्य समस्त कार्यवाही पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही संपादित की जायेगी। यदि स्थाई वारंट से संबंधित कोई प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में लंबित होगा, तो लंबित प्रकरण के साथ वारंट संलग्न कर विचारण करने हेतु सीधे संबंधित न्यायालय को वारंट, आदेश पत्रिका भेज सकेंगे। पश्चात जहां मामला लंबित होगा, वहीं मजिस्ट्रेट आगे कार्यवाही करेंगे।

इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्र में से आरक्षी केन्द्र टी.टी. नगर एवं एम.पी. नगर के अपराध से संबंधित रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, निर्णय/आदेश का निष्पादन तथा अन्य समस्त कार्यवाही सुश्री पलक राय, न्या.म.प्र.श्रे. भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र हबीबगंज एवं अवधपुरी के अपराध से संबंधित रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, निर्णय/आदेश का निष्पादन तथा अन्य समस्त कार्यवाही श्री मृदुल लटोरिया, न्या.म.प्र.श्रे. भोपाल द्वारा संपादित की जावेगी।

06. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्र टी.टी. नगर, एमपी नगर, हबीबगंज, अवधपुरी, यातायात से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण की समस्त कार्यवाही श्री रजनीश ताम्रकार न्या.म.प्र.श्रे. भोपाल द्वारा संपादित की जायेगी।

07. आरक्षी केन्द्र एम.पी.नगर क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र श्री शरद जैसवाल न्या.म.प्र.श्रे. भोपाल, आरक्षी केन्द्र हबीबगंज क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र सुश्री अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे. भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र टीटी नगर क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र श्री अगनेन्द्र कुमार द्विवेदी न्या.म.प्र. श्रे. भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र अवधपुरी क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र कु.लक्ष्मी वस्कले, न्या.म.प्र.श्रे. भोपाल के न्यायालयों में प्रस्तुत किये जावेंगे और वे विधि अनुसार कार्यवाही संपादित करेंगे।

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

08. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने टूर पर प्रस्थान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जावें, जिनमें मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित रहें तथा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिवस मुख्यालय में उपस्थित रहकर न्यायालयीन कार्य का निष्पादन करेंगे।
09. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले थाना क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे, किन्तु कार्य दिवस में ऐसा करने के लिये माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
10. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की दशा में संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने वाले मामले/प्रकरण अनुसूची कं 01 के अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होंगे और उसी न्यायालय में पंजीबद्ध किये जावेंगे। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने तथा स्थानांतरण हो जाने की दशा में जब तक उनके स्थान पर नये अधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करते, तब तक अनुसूची कं 01 में वर्णित प्रभारी मजिस्ट्रेट स्थानांतरित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने वाले सम्पूर्ण मामले सीधे अपने न्यायालय में ग्रहण कर, पंजीबद्ध करेंगे और विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे।
11. कार्यविभाजन पत्रक में यदि भोपाल थाना क्षेत्र तथा बैरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के समस्त आपराधिक कार्य व उनके संबंधित सभी आवश्यक कार्य क्रमशः श्री शरद जैसवाल न्या.म.प्र.श्रे. भोपाल तथा श्री रवि नायक न्या.म.प्र.श्रे. बैरसिया जिला भोपाल द्वारा किये जायेंगे।
12. धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी तथा किन्हीं कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित) श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे. भोपाल द्वारा एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) श्री संदीप कुमार नामदेव न्या.म.प्र.श्रे. भोपाल द्वारा लिया जाएगा।
13. म.प्र.ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 की धारा 16(1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेंगे। ग्राम न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय भोपाल के द्वारा ही लिया जायेगा।
14. माननीय उच्च न्यायालय म प्र जबलपुर का ज्ञापन कं बी/806/।।। 6-5/14, जबलपुर, दिनांक 25.02.15 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भोपाल का ज्ञापन कं 801/सां0ले0/2015, भोपाल दिनांक 26

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

फरवरी 2015 के परिपालन में इस न्यायालय के पूर्ववर्ती आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक 2015 संशोधन कं 05 आदेश दिनांक 26.02.15 द्वारा सुश्री आरती आर्य, न्या.म.प्र.श्रे. भोपाल; थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची अनुसार कं 01 से 15 तक एवं श्री रजनीश ताम्रकार जेएमएफसी भोपाल संलग्न; थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची अनुसार कं 16 से 29 तक के अपराध क्रमांक में धारा 164 दंप्रसं के तहत कथन अभिलिखित करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा अन्य अपराध क्रमांक में धारा 164 दंप्रसं के कथन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तो श्री विशाल रिछारिया जेएमएफसी, भोपाल पूर्व आदेशानुसार कार्य संपादित करेंगे।

15. न्यायिक अभिरक्षा एवं पुलिस अभिरक्षा में किसी बंदी की मृत्यु होने की दशा में तथा केन्द्रीय कारागार भोपाल में निरुद्ध ऐसे बंदी जो कि भोपाल जिले से बाहर थाना क्षेत्र के आपराधिक प्रकरणों में निरुद्ध है तथा जो भोपाल जिले के आरक्षी केन्द्रों के आपराधिक प्रकरणों में निरुद्ध है, की मृत्यु होने पर धारा 176 दंप्रसं की न्यायिक जांच, निम्नांकित न्यायिक दंडाधिकारीगण क्रमानुसार संपादित करेंगे:-

सरल क.	न्यायाधीशगण के नाम	क.	न्यायाधीशगण के नाम
1	श्रीमती चेतना दीक्षित, न्या.म.प्र.श्रे.	16	श्री कृष्णकांत बागरे, न्या.म.प्र.श्रे.
2	श्री तथागत याग्निक, न्या.म.प्र.श्रे.	17	श्रीमती अंजली सिंह, न्या.म.प्र.श्रे.
3	कुलक्ष्मी वस्कले न्या.म.प्र.श्रे.	18	श्री कपिल बौरासी, न्या.म.प्र.श्रे.
4	श्रीमती शोभना गौतम न्या.म.प्र.श्रे.	19	श्री बृजेश चंसोरिया, न्या.म.प्र.श्रे.
5	श्री लोकेश तारण, न्या.म.प्र.श्रे.	20	सुश्री भावीनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे.
6	श्रीमती अश्विनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	21	श्री मृदुल लटोरिया, न्या.म.प्र.श्रे.
7	श्रीमती गुंजन शर्मा न्या.म.प्र.श्रे.	22	श्री विशाल रिछारिया न्या.म.प्र.श्रे.
8	सुश्री संजना सरल, न्या.म.प्र.श्रे.	23	सुश्री एकता ठाकुर न्या.म.प्र.श्रे.
9	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.म.प्र.श्रे.	24	श्री रजनीश ताम्रकार, न्या.म.प्र.श्रे.
10	श्री शरद जैसवाल, न्या.म.प्र.श्रे.	25	श्री राहुल कुमार नामदेव, न्या.म.प्र.श्रे.
11	सुश्री आरती आर्य न्या.म.प्र.श्रे.	26	श्री संदीप कुमार नामदेव, न्या.म.प्र.श्रे.
12	श्री कर्नल सिंह श्यामन्या.म.प्र.श्रे.	27	श्री जयदीप मौर्य न्या.म.प्र.श्रे.
13	सुश्री पलक राय न्या.म.प्र.श्रे.	28	सुश्री हेमलता अहिरवार न्या.म.प्र.श्रे.

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

14	सुश्री कल्पना कोतवाल न्या.म.प्र.श्रे.	29	सुश्री लघुता मरकाम न्या.म.प्र.श्रे.
15	श्री आशीष मिश्रा, न्या.म.प्र.श्रे.	30	सुश्री हर्षा परमार, न्या.म.प्र.श्रे.

उक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारी के संबंध में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कम में फेर बदल किया जा सकेगा। न्यायिक जांच हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी सार्वजनिक अवकाशों में बिना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं रहेंगे, परन्तु किन्हीं कारणवश मुख्यालय से बाहर रहते हैं या अवकाश पर जाते हैं तो मुख्यालय छोड़ने हेतु प्रस्तुत आवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगेंगे, इसके पश्चात प्रभार अनुसूची क्रमांक 1 के अनुसार रहेगा।

16. धारा 176 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत मृत बंदियों की न्यायिक जांच से संबंधित अनुरोध पत्र केन्द्रीय कारागार, भोपाल से व संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक दंडाधिकारीगण उपरोक्त क्रमानुसार विधिवत कार्यवाही अविलंब संपादित करेंगे। इसके अतिरिक्त मृत बंदियों की मृत्यु की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक जांच हेतु पृथक से आदेश प्रसारित किया जा सकेगा।

17. रिमांड ड्यूटी, वीडियो कांफेसिंग, धारा 164 दं०प्र०सं० कथन एवं धारा 176 दं०प्र०सं० के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के किसी कारण वश अवकाश पर रहने या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में प्रभार अनुसूची क्र.-1 के अनुसार रहेगा एवं वह विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे।

18. श्री रवि नायक न्या.म.प्र.श्रे. बैरसिया जिला भोपाल, आरक्षी केन्द्र बैरसिया, सुश्री हर्षिनी यादव न्या.म.प्र. श्रे. बैरसिया जिला भोपाल, आरक्षी केन्द्र गुनगा, ईटखेड़ी तहसील बैरसिया एवं श्री राजन गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे. बैरसिया जिला भोपाल आरक्षी केन्द्र नजीराबाद के धारा 176 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जांच संपादित करेंगे।

19. अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 कार्यविभाजन पत्रक के ही अंग रहेंगे।

अरुण सिंह  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
भोपाल, म.प्र.

15/04/24

## /// अनुसूची क-1 ///

1. न्यायिक दंडाधिकारीगण के अवकाश में रहने पर या न्यायालय रिक्त होने पर, उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट या अनुसूची क-1 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूची के अनुसार अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्यों को निष्पादित करेंगे।
2. यदि अनुसूची क. 1 में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर मुख्यालय उपलब्ध वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेगें। अत्यावश्यक मामलों में ऐसे समस्त मामले शामिल हैं, जिनमें संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा आरोपी अपराध की स्वीकारोक्ति चाहता है। अत्यावश्यक मामलों में वे मामले शामिल नहीं होंगे, जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हों।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1	श्री अरुण सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	श्री लोकेश तारण न्या.म.प्र.श्रे.	श्री कर्नल सिंह श्याम न्या.म.प्र.श्रे.	श्री अग्नेन्द्र कुमार द्विवेदी न्या.म.प्र.श्रे.	श्री तरुनेन्द्र प्रताप सिंह न्या.म.प्र.श्रे.
2	श्री अग्नेन्द्र कुमार द्विवेदी न्या.म.प्र.श्रे.	श्री तरुनेन्द्र प्रताप सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	श्री लोकेश तारण न्या.म.प्र.श्रे.	श्री कर्नल सिंह श्याम न्या.म.प्र.श्रे.	कु.लक्ष्मी वस्कले न्या. म.प्र.श्रे.
3	श्रीमती चेतना दीक्षित न्या.म.प्र.श्रे. (138 न्यायालय)	श्री तथागत याग्निक न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती गुंजन शर्मा न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री लघुता मरकाम न्या.म.प्र.श्रे.	श्री आशीष मिश्रा न्या. म.प्र.श्रे.
4	श्री तथागत याग्निक न्या.म.प्र.श्रे. (138 न्यायालय)	श्रीमती गुंजन शर्मा न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री लघुता मरकाम न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती चेतना दीक्षित न्या.म.प्र.श्रे.	श्री कृष्णकांत बागरे न्या.म.प्र.श्रे.
5	कु.लक्ष्मी वस्कले न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री पलक राय न्या. म.प्र.श्रे.	श्री तरुनेन्द्र प्रताप सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	श्री शरद जैसवाल न्या.म.प्र.श्रे.
6	श्रीमती शोभना गौतम न्या. म.प्र.श्रे. (महिला न्यायालय)	सुश्री आरती आर्य न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अश्विनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अंजली सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री भावीनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे.
7	श्री लोकेश तारण, न्या.म.प्र. श्रे.	सुश्री पलक राय न्या. म.प्र.श्रे.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे.	कु.लक्ष्मी वस्कले न्या.म.प्र.श्रे.	श्री तथागत याग्निक न्या.म.प्र.श्रे.
8	श्रीमती अश्विनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे. (महिला न्यायालय)	श्रीमती शोभना गौतम न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री आरती आर्य सैयाम न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री भावीनी सिंह न्या.म. प्र.श्रे.	श्रीमती अंजली सिंह न्या.म.प्र.श्रे.

15/04/24  
 (अरुण सिंह)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 भोपाल (म.प्र.)

9	श्रीमती गुंजन शर्मा न्या. म.प्र.श्रे. (138 न्यायालय)	सुश्री लघुता मरकाम न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती चेतना दीक्षित, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री तथागत याग्निक न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री कल्पना कोतवाल न्या.म.प्र.श्रे.
10	श्री तरुनेन्द्र प्रताप सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	श्री शरद जैसवाल न्या.म.प्र.श्रे.	श्री लोकेश तारण न्या. म.प्र.श्रे.	कु.लक्ष्मी वस्कले न्या.म. प्र.श्रे.	सुश्री पलक राय न्या.म.प्र. श्रे.
11	सुश्री संजना सरल, न्या.म. प्र.श्रे.	सुश्री अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री पलक राय न्या. म.प्र.श्रे.	श्री शरद जैसवाल न्या. म.प्र.श्रे. भोपाल	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया न्या.म.प्र.श्रे.
12	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे.	कु.लक्ष्मी वस्कले न्या.म. प्र.श्रे.	श्री तरुनेन्द्र प्रताप सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	श्री लोकेश तारण न्या.म.प्र.श्रे.	श्री अग्निनधरा कुमार द्विवेदी न्या.म.प्र.श्रे.
13	श्री शरद जैसवाल न्या.म.प्र.श्रे.	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया न्या.म.प्र.श्रे.	श्री विशाल रिछारिया न्या.म.प्र.श्रे.	श्री कपिल बौरासी न्या.म. प्र.श्रे.	सुश्री पलक राय न्या. म.प्र.श्रे.
14	सुश्री आरती आर्य न्या.म.प्र.श्रे. (महिला न्यायालय)	श्रीमती अश्विनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती शोभना गौतम न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री कल्पना कोतवाल न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हेमलता अहिरवार न्या.म.प्र.श्रे.
15	श्री कर्नल सिंह श्याम न्या.म.प्र.श्रे.	श्री शरद जैसवाल न्या. म.प्र.श्रे.	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया न्या.म.प्र.श्रे.	श्री विशाल रिछारिया न्या. म.प्र.श्रे.	श्री कपिल बौरासी न्या.म.प्र.श्रे.
16	श्री अनुराग खरे विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, भोपाल	श्री कर्नल सिंह श्याम न्या.म.प्र.श्रे.	श्री अग्नेन्द्र कुमार द्विवेदी न्या.म.प्र.श्रे.	श्री शरद जैसवाल न्या.म. प्र.श्रे.	श्री लोकेश तारण न्या.म.प्र.श्रे.
17	सुश्री पलक राय न्या.म.प्र.श्रे.	श्री अग्नेन्द्र कुमार द्विवेदी न्या.म.प्र.श्रे.	कु.लक्ष्मी वस्कले न्या.म. प्र.श्रे.	श्री शरद जैसवाल न्या.म. प्र.श्रे.	श्री कर्नल सिंह श्याम न्या.म.प्र.श्रे.
18	सुश्री कल्पना कोतवाल न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती आशीष मिश्रा न्या.म.प्र.श्रे.	श्री राहुल कुमार नामदेव न्या.म.प्र.श्रे.	श्री विशाल रिछारिया	श्री जयदीप मौर्य न्या. म.प्र.श्रे.
19	श्री आशीष मिश्रा न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री कल्पना कोतवाल न्या.म.प्र.श्रे.	श्री कृष्णकांत बागरे न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री भावीनी सिंह न्या. म.प्र.श्रे.	श्री विशाल रिछारिया न्या.म.प्र.श्रे.
20	श्री कृष्णकांत बागरे न्या.म.प्र.श्रे.	श्री कपिल बौरासी न्या.म.प्र.श्रे.	श्री आशीष मिश्रा न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री कल्पना कोतवाल न्या.म.प्र.श्रे.	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया न्या.म.प्र.श्रे.
21	श्रीमती अंजली सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री कल्पना कोतवाल न्या.म.प्र.श्रे.	श्री विशाल रिछारिया न्या.म.प्र.श्रे.	श्री जयदीप मौर्य न्या.म.प्र.श्रे.	श्री मृदुल लटोरिया न्या.म.प्र.श्रे.
22	श्री कपिल बौरासी न्या.म.प्र.श्रे.	श्री आशीष मिश्रा न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री भावीनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	श्री विशाल रिछारिया न्या.म.प्र.श्रे.	श्री जयदीप मौर्य न्या.म.प्र.श्रे.
23	श्री बृजेश चंसोरिया न्या.म.प्र.श्रे.	श्री राहुल कुमार नामदेव न्या.म.प्र.श्रे.	श्री आशीष मिश्रा न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अंजली सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	श्री विशाल रिछारिया न्या.म.प्र.श्रे.
24	सुश्री भावीनी सिंह	श्री विशाल रिछारिया	सुश्री कल्पना कोतवाल	श्री राहुल कुमार नामदेव	श्री संदीप कुमार

15/04/24  
 (अरुण सिंह)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 भोपाल (म.प्र.)

	न्या.म.प्र.श्रे.	न्या.म.प्र.श्रे.	न्या.म.प्र.श्रे.	न्या.म.प्र.श्रे.	नामदेव न्या.म.प्र.श्रे.
25	श्री मृदुल लटोरिया, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री रजनीश ताम्रकार, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री जयदीप मौर्य न्या.म.प्र.श्रे.	श्री संदीप कुमार नामदेव, न्या.म.प्र.श्रे.
26	श्री विशाल रिछारिया न्या. म.प्र.श्रे.	श्री कृष्णकांत बागरे न्या.म.प्र.श्रे.	श्री राहुल कुमार नामदेव न्या.म.प्र.श्रे.	श्री कपिल बौरासी न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री भावीनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे.
27	सुश्री एकता ठाकुर न्या.म.प्र.श्रे.	मातृत्व अवकाश			
28	श्री रजनीश ताम्रकार, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री संदीप कुमार नामदेव, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री मृदुल लटोरिया, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हेमलता अहिरवार न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हर्षा परमार, न्या.म.प्र.श्रे.
29	श्री राहुल कुमार नामदेव न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री भावीनी सिंह न्या. म.प्र.श्रे.	श्री कपिल बौरासी न्या. म.प्र.श्रे.	श्री बृजेश चंसोरिया न्या.म.प्र.श्रे.	श्री विशाल रिछारिया न्या.म.प्र.श्रे.
30	श्री संदीप कुमार नामदेव, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री मृदुल लटोरिया, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हर्षा परमार, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री रजनीश ताम्रकार न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हेमलता अहिरवार न्या.म.प्र.श्रे.
31	श्री जयदीप मौर्य न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हेमलता अहिरवार न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हर्षा परमार न्या.म.प्र.श्रे.	श्री संदीप कुमार नामदेव न्या.म.प्र.श्रे.	श्री रजनीश ताम्रकार न्या.म.प्र.श्रे.
32	सुश्री हेमलता अहिरवार न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हर्षा परमार न्या.म.प्र.श्रे.	श्री संदीप कुमार नामदेव, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री मृदुल लटोरिया, न्या. म.प्र.श्रे.	श्री रजनीश ताम्रकार न्या.म.प्र.श्रे.
33	सुश्री लघुता मरकाम न्या. म.प्र.श्रे. (138 न्यायालय)	श्रीमती चेतना दीक्षित न्या.म.प्र.श्रे.	श्री तथागत याग्निक न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती गुंजन शर्मा न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अंजली सिंह न्या.म.प्र.श्रे.
34	सुश्री हर्षा परमार, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री जयदीप मौर्य न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हेमलता अहिरवार न्या.म.प्र.श्रे.	श्री संदीप कुमार नामदेव, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री मृदुल लटोरिया, न्या.म.प्र.श्रे.
<b>बैरसिया न्यायालय</b>					
33	श्रीमती रवि नायक, न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमति हर्षिणी यादव, न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती राखी देवलिया, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री राजन गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे.	श्री कृष्णकांत बागरे, न्या.म.प्र.श्रे.
34	श्रीमति हर्षिणी यादव, न्या. म.प्र.श्रे.	श्रीमती राखी देवलिया, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री राजन गुप्ता न्या.म. प्र.श्रे.	श्री रवि नायक, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री कल्पना कोतवाल न्या.म.प्र.श्रे.
35	श्रीमती राखी देवलिया, न्या.म.प्र.श्रे.	श्री राजन गुप्ता, न्या.म. प्र.श्रे.	श्री रवि नायक, न्या.म. प्र.श्रे.	श्रीमती हर्षिणी यादव, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री पलक राय न्या.म.प्र.श्रे.
36	श्री राजन गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे.	श्री रवि नायक न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती हर्षिणी यादव न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती राखी देवलिया न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हेमलता अहिरवार न्या.म.प्र.श्रे.
37	सुश्री श्रुति जैन प्रधान न्यायाधीश, किशोर बोर्ड, भोपाल				

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)



नोट:- 1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के स्थानांतरण हो जाने तथा उनके अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्हीं कारणवश उनके भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजि० भोपाल को छोड़कर वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

2. भोपाल जिला न्यायालय पदस्थापना में रिक्त न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके पूर्व प्रभारी अधिकारीगण द्वारा ही की जावेगी।

3. यह आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अरुण सिंह  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल म.प्र.

### // अनुसूची क.- 2 //

धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

1. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित धारा 164 द.प्र.स. के कथनों हेतु निम्न महिला मजिस्ट्रेटों को आरक्षी केंद्र का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्रीमती चेतना दीक्षित, न्या.म.प्र.श्रे.	1. खजूरी सडक 2 महिला थाना, 3. एसटीएफ एवं एटीएस
2	कु.लक्ष्मी वस्कले, न्या.म.प्र.श्रे.	1. टी.टी.नगर 2. गौतम नगर 3. गोविंदपुरा, 4. श्यामला हिल्स
3	श्रीमती शोभना गौतम, न्या.म.प्र.श्रे.	1. चूना भट्टी, 2. शाहपुरा 3. कटारा हिल्स
4	श्रीमती अश्विनी सिंह, न्या.म.प्र.श्रे.	1 हनुमानगंज, 2 पिपलानी, 3 छोला मंदिर
5	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.म.प्र.श्रे.	1 बिलखिरिया 2 रातीबड़, 3 आर.पी.एफ., 4 स्टेशन बजरिया
6	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.म.प्र.श्रे.	1 सूखीसेवनिया 2 मिसरोद 3 शाहजहांनाबाद, 4. कोहेफिजा
7	सुश्री आरती आर्य, न्या.म.प्र.श्रे.	1 ईंटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजडादेव, गुराडिया, 2 एसटीएफ/एटीएस (आदेश दिनांक 26.02.15 के अनुसार) 3. जी.आर.पी.

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)


8	सुश्री पलक राय, न्या.म.प्र.श्रे.	1. अशोका गार्डन 2. गांधीनगर 3. कोलार रोड 4. ऐशबाग
9	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.म.प्र.श्रे.	1 कमला नगर 2 अयोध्या नगर 3 साइबर काइम्स 4 काइम ब्रांच,
10	सुश्री भावीनी सिंह, न्या.म.प्र.श्रे.	1 निशातपुरा 2 टीलाजमालपुरा 3 बागसेवनिया 4. जहांगीराबाद
11	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.म.प्र.श्रे.	1. सीबीआई 2. मंगलवारा 3. अरेरा हिल्स 4. तलैया
12	सुश्री लघुता मरकाम, न्या.म.प्र.श्रे.	1 एम.पी.नगर, 2 हबीबगंज, 3 परवलिया सडक 4. अजाक
13.	सुश्री हर्षा परमार, न्या.म.प्र.श्रे.	1. बैरागढ, 2 कोतवाली 3. अवधपुरी

नोट:-1. धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु उपरोक्त न्यायिक दंडाधिकारीगण के अवकाश में रहने पर निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूची के अनुसार धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित करेंगे।

2. यदि सूची में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं, तो धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित किए जाने हेतु मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम महिला मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेंगी।

3. धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो कमशः प्रथम, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1	श्रीमती चेतना दीक्षित, न्या.म.प्र.श्रे.	कु.लक्ष्मी वस्कले न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती शोभना गौतम, न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अश्विनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.म.प्र.श्रे.
2	कु.लक्ष्मी वस्कले न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती शोभना गौतम, न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अश्विनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे.
3	श्रीमती शोभना गौतम, न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अश्विनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री आरती आर्य, न्या.म.प्र.श्रे.
4	श्रीमती अश्विनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री आरती आर्य, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री पलक राय, न्या. म.प्र.श्रे.
5	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री आरती आर्य, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री पलक राय, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.म.प्र.श्रे.
6.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री आरती आर्य, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री पलक राय, न्या. म.प्र.श्रे.	सुश्री कल्पना कोतवाल,	सुश्री भावीनी सिंह, न्या.म.प्र.श्रे.

  
 (अरुण सिंह)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 भोपाल (म.प्र.)

				न्या.म.प्र.श्रे.	
7	सुश्री आरती आर्य, न्या. म.प्र.श्रे.	सुश्री पलक राय, न्या. म.प्र.श्रे.	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री भावीनी सिंह, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.म.प्र.श्रे.
8	सुश्री पलक राय, न्या. म.प्र.श्रे.	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री भावीनी सिंह, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री लघुता मरकाम, न्या.म.प्र.श्रे.
9	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री भावीनी सिंह, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री लघुता मरकाम, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हर्षा परमार न्या.म.प्र.श्रे.
10	सुश्री भावीनी सिंह, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री लघुता मरकाम, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हर्षा परमार न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती चेतना दीक्षित, न्या.म.प्र.श्रे.
11	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री लघुता मरकाम, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हर्षा परमार न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती चेतना दीक्षित, न्या.म.प्र.श्रे.	कु.लक्ष्मी वस्कले न्या.म.प्र.श्रे.
12	सुश्री लघुता मरकाम, न्या.म.प्र.श्रे.	सुश्री हर्षा परमार न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती चेतना दीक्षित, न्या.म.प्र.श्रे.	कु.लक्ष्मी वस्कले न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती शोभना गौतम, न्या.म.प्र.श्रे.
13	सुश्री हर्षा परमार न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती चेतना दीक्षित, न्या.म.प्र.श्रे.	कु.लक्ष्मी वस्कले न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती शोभना गौतम, न्या.म.प्र.श्रे.	श्रीमती अश्विनी सिंह न्या.म.प्र.श्रे.

4. इसके अतिरिक्त धारा 164 द.प्र.स. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री तथागत याग्निक न्या.म.प्र.श्रे.	1 ऐशबाग, 2 गांधीनगर 3 हनुमानगंज, 4 ईओडब्ल्यू
2	श्री शरद जैसवाल, न्या.म.प्र.श्रे.	1 अवधपुरी 2 चूनाभट्टी 3 बैरागढ 4 कोहेफिजा 5. आर.पी.एफ.
3	श्री कर्नाल सिंह श्याम, न्या.म.प्र.श्रे.	1. शाहजहांनाबाद, 2 ईंटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव <u>इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजडादेव, गुराडिया</u>
4	श्री आशीष मिश्रा, न्या.म.प्र.श्रे.	1 कोतवाली 2 हबीबगंज 3 कोलार रोड 4 जी.आर.पी. 5. पिपलानी,
5	श्री कृष्णकांत बागरे, न्या.म.प्र.श्रे.	1 बिलखिरिया 2 गोविंदपुरा, 3 निशातपुरा 4. सीबीआई, 5. मिसरोद
6	श्री कपिल बौरासी, न्या.म.प्र.श्रे.	1 शाहपुरा 2 सूखीसेवनिया 3 टी टी नगर, 4. कटारा हिल्स,

15/04/24  
(अरुण सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भोपाल (म.प्र.)

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
7	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया, न्या.म.प्र.श्रे.	1 श्यामला हिल्स, 2 अयोध्या नगर 3 अजाक,
8	श्री मृदुल लटोरिया, न्या.म.प्र.श्रे.	1 टीलाजमालपुरा, 2 बागसेवनिया 3 छोला मंदिर
9	श्री विशाल रिछारिया, न्या.म.प्र.श्रे.	1. तलैया 2. साइबर काइम्स, 3 खजूरी सडक
10	श्री रजनीश ताम्रकार, न्या.म.प्र.श्रे.	1 जहांगीराबाद, 2. गौतम नगर 3. एटीएस/एसटीएफ (आदेश दिनांक 26.02.15 के अनुसार)
11	श्री राहुल कुमार नामदेव, न्या.म.प्र.श्रे.	1 अशोकागार्डन 2 मंगलवारा 3 सी.आई.डी. 4 महिला थाना
12	श्री संदीप कुमार नामदेव, न्या.म.प्र.श्रे.	1 स्टेशन बजरिया, 2. कमलानगर, 3 परवलिया सडक
13	श्री जयदीप मौर्य न्या.म.प्र.श्रे.	1 अरेरा हिल्स 2 काइम ब्रांच 3 रातीबड़, 4 एमपी नगर

5. तहसील बैरसिया जिला भोपाल में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री रवि नायक, न्या.म.प्र.श्रे., बैरसिया	बैरसिया,
2	सुश्री हर्षिनी यादव, न्या.म.प्र.श्रे., बैरसिया,	गुनगा, ईटखेडी तहसील बैरसिया
3	श्री राजन गुप्ता, न्या.म.प्र.श्रे., बैरसिया	नजीराबाद

अरुण सिंह  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
भोपाल, म.प्र.

अनुमोदित

अमिताभ मिश्र

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भोपाल म0प्र0